UPGK010023232026

न्यायालय : सत्र न्यायाधीश, गोरखपुर।

अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र संख्या- 990/2026,

विजय प्रताप सिंह पुत्र स्व0 शमशेर सिंह,
निवासी- भेउसा उर्फ बनकटा टोला बर्रोही,
थाना- सिकरीगंज, जिला- गोरखपुर। आवेदक/अभियुक्त,

प्रति

उत्तर प्रदेश राज्य प्रतिपक्षी,

अपराध संख्या- 20/2026,
धारा- 191 (2),115 (2),125,109 (1),352,351 (3),117 (2) भारतीय न्याय संहिता,
थाना- सिकरीगंज, जनपद- गोरखपुर।

13.03.2026

आदेश

यह अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा- 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आवेदक/अभियुक्त विजय प्रताप सिंह की ओर से अपराध संख्या- 20/2026, धारा- 191 (2),115 (2),125,109 (1),352,351 (3),117 (2) भारतीय न्याय संहिता, थाना- सिकरीगंज, जनपद- गोरखपुर में प्रस्तुत किया गया है।

अभियोजन कथानक के अनुसार दिनांक 22.01.2026 को समय सुबह 08:00 बजे प्रथम सूचनाकर्ता रणवीर प्रताप सिंह व उसकी पत्नी मोटर साईकिल से गोरखपुर जाने के लिए निकले थे, की लगभग 200 मीटर आगे टावर के पास पहुॅचे ही थे कि पुरानी रंजिश को लेकर गॉव के विजय प्रताप, दिनेश सिंह, मुन्नू सिंह, नरेश व पंकज सिंह व दो अज्ञात व्यक्ति प्रथम सूचनाकर्ता को घेर कर रोक लिए तथा गाली देते हुए लाठी-डण्डा व ईट पत्थर से मारने लगे, जिससे प्रथम सूचनाकर्ता को बहुत गम्भीर चोट आयी और प्रथम सूचनाकर्ता बेहोश होकर गिर गया। सभी लोग कहे कि इस बार, तो बच गए हो अगली बार तुम्हें जान से मार देंगे।

प्राथमिकी पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी। विवेचना के अनुक्रम में आहत रणवीर प्रताप सिंह का चिकित्सकीय परीक्षण कराया गया। चिकित्सकीय परीक्षण आख्या के अनुसार आहत को निम्नलिखित उपहतियॉ पाया गयी, जो निम्नवत हैं-

1. A contusion of size 3cmX2cm, 7cm above left ear with complaint of severe headache and vertigo, NCCT head advise.

2. A reddish bruise of size 17cmX14cm below right scapula, chest X-ray AP/view advise.
3. A reddish bruise of size 13cmX7cm, 20cm below left scapula, chest X-ray AP/view advise.
4. A reddish bruise of size 7cmX5cm below left scapula, chest X-ray AP/view advise.
5. A contusion of size 8cmX3cm, 4cm below left shoulder joint on back of left upper arm X-ray advise.
6. A contusion of size 5cmX3cm, 4cm below right shoulder joint on back of right upper arm, X-ray Advise.
7. Complaint of severe pain and swelling on bilteral hand X-ray advise.
8. Complain of severe back pain with unable to stand, X-ray LS spine advise.
9. A reddish abrasion with contusion of size 4cmX2cm, 13cm below right knee joint on leg, X-ray advise.
10. A reddish contusion of size 6cmX2cm, 5cm below left knee joint on lateral side of left leg, X-ray advise.
11. A reddish contusion of size 9cmX6cm, over left lateral malleolus, X-ray advise.

चिकित्सक की राय के अनुसार सभी उपहतियॉ ताजी तथा कठोर कुन्दालय से आना पायी गयी। आहत के एक्स-रे रिपोर्ट में उसके दाहिने पैर के नीचे के हिस्से की मुख्य अस्थि में अस्थि विसंधान होना पाया गया तथा आहत के सी०टी० स्कैन रिपोर्ट में सिर में आयी उपहति के कारण जमा हुआ रक्त मौजूद था तथा सिर के बाये टेम्पोरल क्षेत्र में अस्थि विसंधान था।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक/अभियुक्त सर्वथा निर्दोष एवम् निरपराध हैं। असत्य कथनों के आधार पर उन्हें इस मामले में लिप्त किया गया है। मामले की प्राथमिकी अत्यधिक विलम्ब से पंजीकृत करायी गयी है। प्राथमिकी पंजीकृत कराने में हुए विलम्ब का कोई संतोषप्रद स्पष्टीकरण अभियोजन पक्ष की तरफ से इस प्रक्रम पर नहीं दिया गया है। प्रथम सूचनाकर्ता जब अपने घर से सिकरीगंज की तरफ चलेगा, तो पहले ढ़ेबरा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पड़ेगा, उसके बाद सिकरीगंज थाना पड़ेगा और उसके बाद सिकरीगंज थाने से 4-5 किमी0 दूरी पर उरूवा पी0एच0सी0 पड़ेगा, परन्तु प्रथम सूचनाकर्ता द्वारा अपना मेडिकल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ढ़ेबरा में नहीं कराया गया, न ही थाना सिकरीगंज में उक्त घटना की सूचना दी गयी। आहत का मेडिकल दिनांक 22.01.2026 को ही पी0एच0सी0 उरूवा पर हुआ, तथा दिनांक 23.01.2026 को एक्स-रे आदि हुआ। मेडिकल कराने के बाद ही उक्त प्रकरण में पुलिस को अपने साजिश में करके प्राथमिकी पंजीकृत करायी गयी। आहत को आयी उपहतियॉ साधारण प्रकृति की हैं। आवेदक/अभियुक्त की कोई विनिर्दिष्ट भूमिका दर्शित नहीं है। प्राथमिकी में किसी भी स्वतन्त्र व्यक्ति को गवाह नहीं बनाया गया है। तद्नुसार उन्होंने आवेदक/ अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने का निवेदन किया है।

अभियोजन पक्ष की तरफ से उपस्थित विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, दाण्डिक ने जमानत प्रार्थना-पत्र का प्रबल विरोध एवम् खण्डन करते हुए तर्क प्रस्तुत किया है कि आवेदक/अभियुक्त व सह-अभियुक्तो द्वारा एक राय होकर प्रथम सूचनाकर्ता को लाठी-डण्डा व ईट पत्थर से मारकर प्राणघातक व गम्भीर उपहति कारित की गयी तथा जान से

मारने की धमकी दी गयी। प्रकरण अभी विवेचनाधीन है। यदि आवेदक/अभियुक्त को अग्रिम जमानत प्रदान की जाती है, तो उसके द्वारा अभियोजन साक्ष्य से छेड़छाड़ किये जाने तथा अभियोजन साक्षियों को प्रभावित किये जाने की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता। तद्नुसार उन्होंने अपराध की प्रकृति को गम्भीर होना बताकर अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

मैंने आवेदक/अभियुक्त की तरफ से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र पर उसके विद्वान अधिवक्ता तथा उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) के विद्वतापूर्ण तर्को को विस्तारपूर्वक सुना तथा अभियोजन प्रपत्रों का परिशीलन किया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक/अभियुक्त प्राथमिकी में नामित है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि आहत को सिर पर गम्भीर उपहति आयी है तथा उसके शरीर पर कुल 11 उपहतियॉ पायी गयी है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा- 180 के अन्तर्गत विवेचक को दिये गये कथन में साक्षीगण श्रीमती गोल्डी राव व चन्द्रसेन सिंह के द्वारा प्राथमिकी में उल्लिखित कथनों का समर्थन करते हुए कथित अपराध में आवेदक/अभियुक्त की विशिष्ट भूमिका एवम् भागिता के सम्बन्ध में विस्तृत कथन किया गया है। प्रथम दृष्टया आवेदक/अभियुक्त की घटना में संलिप्तता पायी जाती है। अग्रिम जमानत प्रदान किये जाने की दशा में आवेदक/अभियुक्त के द्वारा अभियोजन साक्ष्य से छेड़छाड़ किये जाने तथा अभियोजन साक्षियों को प्रभावित किये जाने की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता। इस स्तर पर आवेदक/अभियुक्त को प्रश्नगत आपराधिक घटनाक्रम में मिथ्यारोपित किये जाने का कोई ठोस एवम् न्यायोचित आधार विद्यमान नहीं है। आवेदक/अभियुक्त की तरफ से प्रस्तुत तर्क एवम् बचाव में अभिकथित तथ्य साक्ष्य एवम् विचारण का विषय है। प्रस्तुत प्रकरण में साक्ष्य संग्रह की प्रक्रिया प्रचलित है तथा मामला अभी विवेचनाधीन है।

सम्पूर्ण तथ्यो, परिस्थितियों एवम् अपराध की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक/अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने का कोई ठोस आधार विद्यमान नहीं है।

निष्कर्षतः आवेदक/अभियुक्त विजय प्रताप सिंह की तरफ से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांक/गोरखपुर
13 मार्च, 2026

(राज कुमार सिंह)
सत्र न्यायाधीश, गोरखपुर।
J.O Code- UP1889

Digitally signed by RAJ KUMAR SINGH
Date: 2026.03.13 16:19:48 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court